हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा नम्बर – 96 / 2021 रोशनलाल बनाम राजस्थान सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.09.2021	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी का बाद जांच तहसीलदार झुन्झुनू से प्राप्त होने पर आदेश में लिया जाकर अवलोकन किया गया। प्रार्थी श्री रोशनलाल पुत्र श्री बजरंगलाल जाति ब्राहम्ण निवासी फूसखानी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि मेरा नाम मनीराम पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राहम्ण निवासी फूसखानी दर्ज है जो गलत है। मेरा सही नाम रोशनलाल पुत्र बजरंगलाल है। जिसके पक्ष में राशन कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र, ग्राम पंचायत रिपोर्ट, विधालय रिकार्ड इत्यादि संलग्न किया जाकर ग्राम फूसखानी पटवार हल्का बहादुरवास की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या नया 196 खसरा नम्बर 216, 217, 312, 352 कुल किता 4 कुल रकबा 1.99 है0 में हिस्सा 1/4 में मनीराम पुत्र बजरंगलाल की जगह रोशनलाल पुत्र बजरंगलाल दर्ज करने का निवेदन किया है। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार झुन्झुनू से करवाई गई। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक राजस्व/2021/2326 दिनांक 09.09.2021 द्वारा रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार खाता संख्या 196 में प्रार्थी का नाम मनीराम पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राहम्ण दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम रोशनलाल पुत्र बजरंगलाल दर्ज है। प्रार्थी का वास्तविक नाम रोशनलाल पुत्र बजरंगलाल है तथा रोशनलाल एवं मनीराम एक ही व्यक्ति के नाम है बाबत अग्रिम कार्यवाही हेतु अपनी रिपोर्ट पेश की है। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र, विधालय रिकार्ड इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उपरोक्त रिकार्ड/तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र आवेदक अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है अतः **आदेश** आवेदक का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में स्वीकार किया जाकर ग्राम फूसखानी पटवार हल्का बहादुरवास की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या नया 196 खसरा नम्बर 216, 217, 312, 352 कुल किता 4 कुल रकबा 1.99 है0 में दर्ज हिस्सा 1/4 में आवेदक का नाम मनीराम पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राहम्ण के स्थान पर रोशनलाल पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राहम्ण शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैशल शुमार हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 10.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (शैलेश खेरवा) उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू	